(43)

47

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांकः—मु0अ0/अनु0–ग्यारह/प.3(90)/डी.220

दिनांकः— 27/06/2012

आदेश

विषयः— चिकित्सा परिचर्या बिलों के पुर्नभरण हेतु बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों के संबंध में यह ध्यान में आया है कि राज्य कर्मचारियों (अधिकारियों/कर्मचारियों) द्वारा राज्य के बाहर तथा राज्य के निजी चिकित्सालय में हृदय, कैन्सर आदि बिमारियों का इलाज करवाने के पश्चात इलाज पर व्यय हुई समस्त राशि के पुर्नभरण हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बिना परीक्षण किये ही इस कार्यालय को भेज दिये जाते है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत जारी आदेशों/निर्देशों के आधार पर निम्नांकित प्रावधान है:—

(1) राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम–2008 आदेश सं. एफ.6(4)एफ.डी.(रूल्स)2003 दिनांक 16.9.2008 द्वारा लागू किये गये है। ये आदेश दिनांक 16.9.2008 से प्रभावी है।

(2) राज्य के बाहर इलाज कराने के संबंध में:— उपरोक्त आदेशों के नियम सं.10 में राज्य के बाहर इलाज कराने संबंधी दिशा–निर्देश दिये है तथा नियम 10 (3) के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी राज्य के सरकारी अस्पताल की अभिशंषा के बिना राज्य के बाहर निजी चिकित्सालय में जीवन घातक बिमारी यथा किडनी, हृदय व अचानक एक्सीडेन्ट का इलाज करवाता है तो ऐसे प्रकरणों में आपात स्थिति में इलाज कराने का संतोषजनक स्पष्टीकरण पाये जाने पर सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में उक्त इलाज पर होने वाले व्यय के बराबर राशि पुर्नभरण योग्य होगी और यदि उक्त इलाज की सुविधा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में उपलब्ध नहीं है तो एम्स, नई दिल्ली में उक्त इलाज पर होने वाले व्यय के बराबर राशि पुर्नभरण योग्य होगी। अतः राज्य के सरकारी अस्पताल की अभिशंषा के बिना राज्य के बाहर इलाज कराने पर व्यय हुई राशि के विरूद्ध उपरोक्त नियमानुसार पुर्नभरण योग्य राशि का आंकलन करावें तत्पश्चात संभाग के वरिष्ठतम लेखाकर्मी से परीक्षण करवाकर उनकी अभिशंषा सहित प्रकरण भिजवाये अन्यथा इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा। पुर्नभरण के उद्देश्य से उस चिकित्सालय द्वारा जारी मूल रसीदें तथा औषधियों के वाउचर्स आदि उस चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा या रैफर करने वाले राज0 चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिऐ।

(3) राज्य के अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज कराने के संबंध में:—

1 वित्त विभाग के आदेश सं. एफ.6(4) एफ.डी.(रूल्स) 03 पार्ट दिनांक 6.2.09 के द्वारा उपकरणों तथा जीवन घातक बिमारी यथा किडनी,हृदय, ऐक्सीडेन्ट के इलाज एवं इलाज पर व्यय हुई राशि के पुर्नभरण हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

2 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.6(4)एफ.डी./(रूल्स)/03 पार्ट–I जयपुर दिनांक दिनांक 27.11.2009 के द्वारा आपात परिस्थिति में राज्य के भीतर स्थापित नीजि या चैरीटेबिल अस्पतालों में दिनांक 16.9.2008 से पहले कराये गये इलाज पर एवं प्रत्यारोपित इम्प्लांटस पर व्यय हुई राशि के पुर्नभरण हेतु वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है।

3 वित्त विभाग के आदेश सं. प.6(4)वित्त/नियम/2003 पार्ट दिनांक 18.12.2009, दिनांक 4.2.2010, दिनांक 1.6.2010, 6.7.2010 तथा सं. एफ.6 (5) वित्त (नियम)/2010 दिनांक 12-11.10 द्वारा अनुमादित चिकित्सला में राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितोंके उपचार एवं प्रत्यारोपित इम्प्लांटस पर व्यय हुई राशि के पुर्नभरण हेतु वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है।

4 राज्य के अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची वित्त विभाग के आदेश सं.एफ.6(4)एफ.डी.(रूल्स)/2003 दिनांक 15.2.2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 10.9.2010 द्वारा जारी की गई

कार्या. अति. मुख्य. अभि.
सा. नि. वि. जोन-I, जयपुर
डे सं. 959 दिनांक 12-7-12
E/C

लगातार ...2

58

(4) उक्त आदेशों एवं चिकित्सा दावों के पुनर्भरण के संबंधित समय समय पर जारी अन्य आदेशों की प्रति वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की वेबसाईट www.finance.rajasthan.gov.in (Notification/ Circulars/ Rules Division) से प्राप्त कर विस्तृत जानकारी हासिल कर ली जावें ।

अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों / कर्मचारियों के किडनी, हृदय, कैन्सर, ऐक्सीडेन्ट एवं अन्य असाध्य बिमारियों आदि के इलाज पर व्यय हुई राशि के पुर्नभरण हेतु बजट की माँग करने से पूर्व ऐसे प्रकरणों में निम्नांकित कार्यवाही की जावे :–

(1) सभी प्रकरणों की नियमानुसार जाँच कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी से करवाई जावे। यदि लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं हो तो कार्यालयध्यक्ष प्रकरण को वृत/संभाग स्तर पर भेजकर नियमानुसार जाँच करावें।

(2) इलाज पर व्यय हुई राशि के विरूद्ध नियमानुसार पुर्नभरण योग्य राशि का वर्गीकरण करे यथा दवाईयां, जाँचों, इम्प्लाटंस, डाक्टर की फीस, रूम चार्जेज आदि पर व्ययित राशि एवं इनके विरूद्ध पुर्नभरण योग्य राशि अलग–अलग दर्शावे।

(3) पुर्नभरण योग्य राशि के लिए बजट आवंटन हेतु प्रकरण संबंधित संभाग कार्यालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी से जाँच करवाकर उनकी अभिशंषा के साथ भिजवाये।

(4) हृदय, कैन्सर,मधुमेह , रक्तचाप आदि बिमारियां जिनका नियमित इलाज चल रहा हो, इनसे संबंधित लम्बित प्रकरणों एवं अन्य लम्बित प्रकरणों जिनके दावे रू. 50,000/– से अधिक के है उनका भी संभाग कार्यालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी से परीक्षण कराकर पुर्नभरण योग्य राशि के लिए बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवावें।

(5) इस कार्यालयों को प्रेषित प्रकरण जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है उनके संबंध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र प्रकरण भिजवावे जिससे कि आवश्यक कार्यवाही की जा सकें/ बजट आवंटन किया जा सकें /राज्य सरकार से बजट आवंटन करवाया जा सकें।

(6) अपूर्ण एवं संभाग कार्यालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी की अभिशंषा के बिना प्रेषित प्रकरणों पर इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

22/6/12
(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ प्रेषित है :–
(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 संभाग समस्त ।
(2) अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 वि0 वृत समस्त ।
(3) अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0. वि0 खण्ड समस्त ।
(4) उद्यान विज्ञ, सा0नि0 वि0 जयपुर ।
(5) अधिशाषी अभियन्ता (मु0) सा0 नि0.वि0 जयपुर ।
(6) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक उद्यान, सा0 नि0 वि0 समस्त ।

22/6/12
(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 राज0, जयपुर।